न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री विरेन्द्रसिंह भाटी)

राजस्व आवेदन सं. 202 / 2022

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मन्दिर मूर्ती श्री चालकनेची माताजी जरिये सचिव रणजीत सिंह पुत्र श्री भवानीदान जाति चारण निवासी ठीकरिया चारणान तहसील तालेड़ा जिला बून्दी हाल निवासी श्री चालकनेची माताजी मन्दिर, ग्राम चालकना, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर (राज0)		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सेड़वा जिला बाड़मेर (राज0)

उपस्थित :प्रार्थीगण वकील – श्री मोहनसिंह सोढ़ा

दिनांक - 05/09/24

निर्णय

उपरोक्त अस्वानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 मन्दिर मूर्ती श्री चालकनेची माताजी द्वारा रणजीत सिंह के मार्फत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम चालकना तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में करीब एक हजार वर्ष से ज्यादा पुराना श्री चालकनेची माताजी का मन्दिर है और इस गांव का नाम भी श्री चालकनेची माताजी के नाम पर चालकना है। श्री चालकनेची माताजी का जन्म नाम श्री आवड़ माता था, आवड़ माताजी ने चालका नाम राक्षस का वध किया था इसलिये चालकनेची माता कहलाए एवं उनके नाम के कारण ही गांव का नाम भी चालकना है। श्री आवड़ माता ने उस समय अनेक कार्य ऐसे किये जिससे आम जनता में भय खत्म हो गया व एक सुव्यवस्थित राज्यों की स्थापना की तथा अनेक चमत्कारी कार्य जनहित में किये इस कारण आज सम्पूर्ण भारत में अनेक राज्यों में उनके मन्दिर बने हुए है। श्री आवड माताजी ने राव तनू को राज्य दिया इसलिए उनका नाम तनोट माता के नाम से भी प्रसिद्ध है तथा तनोट माता का मन्दिर विश्व प्रसिद्ध मन्दिर की श्रेणी में आता है। तनोट माताजी ने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत की सेना का चमत्कारिक रुप से सहयोग किया और पाकिस्तान की सेना को हराया इस कारण तनोट माता मन्दिर की उस समय से सेवा पूजा अब भारत सरकार द्वारा ही की जा रही है तथा वहां पर जो विजय स्तम्भ है उस पर उक्त समस्त तथ्य अंकित है तथा तनोट में हजारों बम पाकिस्तानी सेना ने गिराये थे लेकिन एक भी बम नहीं फूटा और किसी भी भारतीय सैनिक के चोट नहीं आयी इस कारण भारत सरकार द्वारा चमत्कार को नमस्कार मानते हुए तनोट माता की सेवा पूजा के लिये बीएसएफ के जवानों को नियुक्त कर रखा है। श्री आवड माता जी ने जिस जगह पर कोई चमत्कारी कार्य किया उसी अनुसार उनके नाम से मन्दिर बने हुए है जैसे राव तनु के भादर सिंह को राज्य स्थापित करके राजा बनाया तब श्री आवड़ माता जी का नाम भादरिया राय हुआ जहां पर श्री आवड माता की भादर सिंह ने सर्वप्रथम पूजा अर्चना की थी वहां पर भादरिया राय के नाम से मन्दिर है और करीब 1,10,000 वीघा ओरण भादरिया राय माताजी के नाम से है इसी प्रकार देगराय, तेमड़ा राय, काली डूंगर राय आदि अनेक नामों से श्री आवड़ माता के मन्दिर है और श्री आवड माता अर्थात तनोट माता का जन्म स्थान ग्राम चालकना है जहां पर चालकनेची जी के नाम से पूजा होती है

उपखण्ड अधिकारी,
(SDO) सेड़वा

बहुत पुराना मन्दिर बना हुआ है। ग्राम चालकना के खसरा नम्बर 11 में श्री चालकनेची माताजी का मन्दिर हजारों वर्ष पुराना है, प्रथम सेटलमेन्ट के समय खसरा नम्बर 11 को गैर मुमकिन मन्दिर के रुप में दर्ज कर दिया और उस मन्दिर के चारों तरफ जो भूमि थी उसको गैर मुमकिन ओरण के रुप में दर्ज कर दिया लेकिन ना तो मन्दिर के साथ श्री चालकनेची माताजी का नाम लिखा और ना ही ओरण के साथ श्री चालकनेची माताजी का नाम लिखा जबकि मन्दिर किसी देवी देवता का होता है और ओरण भी किसी ना किसी देवी देवता का ही होता है। ओरण को देवभूमि भी कहते है। खसरा नम्बर 11 के सम्बन्ध में मन्दिर का नाम अंकित करवाने के लिये एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बाड़मेर के समक्ष पेश किया था, कलक्टर साहब ने जांच करवायी और जांच में मन्दिर चालकनेची माता का पाया गया इसलिये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बाड़मेर के कार्यालय से धारा 136 के तहत शुद्धीकरण करवाने का आदेश दिया जिस पर एक प्रार्थना पत्र संख्या 113/2021 मन्दिर मूर्ति की तरफ से पेश हुआ और श्रीमान्जी द्वारा दिनांक 22.07.2021 को खसरा नम्बर 11 गैर मुमकिन मन्दिर के साथ श्री चालकनेची माताजी अंकित करने का आदेश पारित किया जिसकी पालना में खसरा नम्बर 11 दुरुस्त हो चुका है और वर्तमान में खसरा नम्बर 11 गैर मुमकिन मन्दिर श्री चालकनेची माताजी दर्ज है। ग्राम चालकना के खसरा नम्बर 12, 21 व 83 की भूमि खसरा बन्दोबस्त 2008 में गैर मुमकिन ओरण दर्ज है जिसमें से खसरा नम्बर 21 देवल माताजी के नाम है तथा खसरा नम्बर 83 जोगमाया वाला ओरण के रुप में दर्ज है, जोगमाया माताजी को ही कहते है इस प्रकार स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 11 जहां मन्दिर बना हुआ था वो भूमि गैर मुमकिन मन्दिर के रुप में दर्ज की गयी और जो माताजी का ओरण था वो गैर मुमकिन ओरण के रुप में दर्ज किया गया। रियासत काल में प्रत्येक मन्दिर के लिये तत्कालीन राजा महाराजाओं व जागीरदारों ने ओरण, डोली आदि के रुप में लाखों बीघा भूमि पुनर्थ छोडी थी जो आज भी उन्ही देवी देवताओं के नाम है लेकिन चालकनेची माताजी का जो ओरण है उसमें माताजी का नाम होने से छूट गया वो लिपिकीय भूल है। जबकि राजस्थान सरकार के बजट घोषणा वर्ष 2017–18 में चालकना (तनोट माता का जन्म स्थान), बाड़मेर में चालकनेची पेनोरमा बनाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गयी थी जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है *"कि तनोट माता हिंगलाज माता का ही एक रुप है, मामड़िया जी चारण के कोई सन्तान नहीं थी, सन्तान प्राप्ति के लिये हिंगलाज शक्ति पीठ की सात बार पैदल यात्रा की थी जिससे खुश होकर विक्रम सम्वत् 808 में चैत्र सुदी नवमी मंगलवार को मामड़िया जी चारण के यहां श्री आवड़ माता (तनोट राय) ने जन्म लिया था, श्री आवड़ माता के छ बहिनें आशी, शेशी, मेहली, होल, रुप व लॉग थी। अपने अवतरण के पश्चात भगवती आवड़ जी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाये तथा नागणेची, काले डूंगर राय, भोजासरी, देगराय, तेमड़ेराय व तनोटराय नाम से प्रसिद्ध हुई। जैसलमेर के राव केहर और उसकी रानी कमलावती ने तनोट माता से पुत्र प्राप्ति के लिये प्रार्थना की तब तनोट माता ने उसको पुत्र दिया जिसका नाम तणु रखा और तणु के नाम से तणोतगढ बनवाया जिसकी आधारशीला विक्रम सम्वत् 827 में रखी तथा 844 में किले का निर्माण पूर्व हुआ उसी दिन आवड़ माताजी ने नवनिर्मित मन्दिर ने स्वयं सहित अपनी बहिनों की मूर्तियां रखवायी और राव तणु के कारण तनोट राय के नाम से प्रसिद्ध है। यह मन्दिर लगभग 1200 वर्ष पुराना है सन् 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बाद यह मन्दिर देश विदेश में अपने चमत्कारों के कारण प्रसिद्ध हो गया ऐसा विश्वास है कि मन्दिर परिसर में गिरे 450 बम फटे तक नहीं और अब यह बम एक संग्रहालय में रखे हुए है इसी प्रकार सन् 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में तनोट माता की कृपा से शत्रु के सैंकड़ो टैंक व गाड़ियां भारतीय फौज ने नेस्तनाबूत कर दिये इसलिये माता श्री तनोटराय भारतीय सैनिकों व सीमा सुरक्षा बल के जवानों की श्रद्धा का विशेष केन्द्र है इस कारण चालकना में जन आस्था के अनुरुप तनोट माता के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं चमत्कारों को प्रदर्शित करने हेतु चालकनेची पेनोरमा चालकना बनाया जाना है।"* खसरा नम्बर 11 जो गैर मुमकिन मन्दिर था उसमें

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

भी सहवन से श्री चालकनेची माताजी का नाम अंकित होने से रह गया था लेकिन उसका शुद्धिकरण कर दिया गया है इसलिये ओरण भी चालकनेची माताजी का ही है और राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धीकरण करके गैर मुमकीन ओरण श्री चालकनेची माताजी दर्ज किया जावे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार सेडवा को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सेडवा ने जवाब प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 11 गैर मुमकिन मन्दिर व खसरा नम्बर 11 के चारों तरफ खसरा नम्बर 12 व 83 किस्म गैर मुमकिन ओरण रिकॉर्ड दर्ज होना स्वीकार किया है तथा खसरा बन्दोबस्त सम्वत् 2008, 2009 की प्रति में खसरा नम्बर 21 के कॉलम नं. 1 में ओरण देवल जी व खसरा नम्बर 83 ओरण जोगमाया वाला होना स्वीकार किया है तथा खसरा बन्दोबस्त के कॉलम संख्या 6 में लालसिंह वगैरह हिस्सेदार जागीरदार दर्ज होना अपने जवाब में अंकित किया है तथा खसरा नम्बर 11 के सम्बन्ध में रिकॉर्ड दुरुस्ती करने बाबत भी तथ्य स्वीकार करते हुए गैर मुमकिन ओरण की वस्तुस्थिती की रिपोर्ट पेश की।

वकील प्रार्थी व पेरोकार राज की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रियासत काल के समय में जब भी कोई मन्दिर बनाते थे या किसी जागीरदार को नयी जागीर मिलती थी या नया राज्य स्थापित करते थे तब पर्यावरण या धार्मिक प्रवृति के कारण सम्बन्धित देवी देवता को मौखिक रुप से भूमि समर्पित करते थे और जो भूमि देवी देवता को समर्पित करते थे उस भूमि के चारों तरफ दूध आदि की कार लगाकर प्रण लेते थे कि इस भूमि को आज के बाद में व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लेंगे और आज के बाद उक्त भूमि देवी देवता की होगी। रियासतों पर जब तक राजाओं का शासन रहा तब तक राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज करने का प्रचलन नहीं था सिर्फ ताम्रपत्र आदि लिखकर देते थे लेकिन जब देश आजाद हुआ तब विभिन्न रियासतों में राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया गया और जो भूमि देवी देवताओं को समर्पित की हुई थी उनको ओरण के रुप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उक्त ओरण किस देवी देवता का है इसका भी उल्लेख राजस्व रिकॉर्ड में किया गया जैसे बीकानेर रियासत के गांव देशनोक में श्री करणी माताजी का ओरण, इसी प्रकार जैसलमेर व जोधपुर रियासतों के गांवो में भी जो बडे–बड़े ओरण थे उनको ओरण के रुप में दर्ज किया गया जैसे भादरीया राय माताजी, देगराय माताजी आदि के ओरण राजस्व रिकॉर्ड में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश से दर्ज हुए है और भादरीया राय माताजी ओरण को माताजी की भूमि माना है इसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के मुताबिक भी ओरण भूमि देवी देवता की भूमि होती है तथा Sacred Groves of Rajasthan पुस्तक जो जी.सिंह वैज्ञानिक आफरी, जोधपुर द्वारा लिखी गयी है उसमें भी ओरण को पवित्र उपवन माना है तथा ओरण भूमि देव भूमि होती है जिसका मालिक सम्बन्धित देवी देवता होता है इसलिये जो श्री चालकनेची माताजी की ओरण भूमि है उसकी किस्म वर्तमान में भी गैर मु. मन्दिर व गै.मु. ओरण दर्ज है इसलिये किस्म परिवर्तित नहीं करके सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाना है कि ओरण श्री चालकनेची माताजी का है। राजस्थान में अधिकांश देवी देवताओं के मन्दिरों के लिये जो ओरण छोड़ा हुआ है उन सबमें उस देवी देवता का नाम लिखा हुआ है जैसे ओरण श्री करणी माताजी, देशनोक, ओरण श्री देगराय माताजी, ओरण श्री भादरीया राय माताजी, ओरण श्री पाबूजी, ओरण श्री बांकल माताजी, रानीगांव, ओरण श्री विरातरा माताजी, धोक, ओरण श्री खूबड़ माताजी, निमलाकोट, गोगाजी का ओरण, सिया माताजी की बणी, देवनारायण का ओरण, गुसाईंजी का ओरण, सांवरिया जी सेठ, नीलकंठ महादेव, भीलूड़ा, गुरु गोरखनाथजी का ओरण, भैरुजी की बणी, रामदेव जी का ओरण, मालानी माताजी का ओरण, कल्ला जी ओरण, कालाजी गोराजी जी ओरण मोहनपुरा, जोगमाया का ओरण साठी का कल्ला, चण्डी माताजी का ओरण, चामुण्डा माताजी की बणी, जसराम बाबाजी की बणी आदि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है इनके अलावा लाखों बीघा जमीन अन्य देवी देवताओं के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में ओरण, बणी आदि के रुप में दर्ज है। इसलिये श्री

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

(सिविल फेहरिस्त)

चालकनेची माताजी का ओरण है और श्री चालकनेची माताजी का ही मन्दिर है इसलिये सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करके उनका नाम दर्ज किया जाना है। उससे ना तो अन्य किसी व्यक्ति को अधिकार मिलेंगे और ना ही भूमि की किस्म परिवर्तित होगी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बहस को निरन्तर रखते हुए निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 11 में श्री चालकनेची माताजी का भव्य मन्दिर बना हुआ है तथा उस मन्दिर के लिये ओरण भी रियासत काल में तत्कालीन जागीरदार द्वारा छोड़ा हुआ है इस ओरण की भूमि पर एकमात्र अधिकार श्री चालकनेची माताजी का है और राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व राजस्थान भू–राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 व राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना व परिपत्रों के अनुसार भू–अभिलेख अधिकारी को इस प्रकार से हुई राजस्व रिकॉर्ड की गलती को किसी भी समय सुधार करने के अधिकार है। ओरण भूमि पर पूर्ण रुप से मालिकाना अधिकार उस देवी देवता का ही होता है जिसके लिये उक्त ओरण छोडा जाता है। श्री चालकनेची माताजी मन्दिर के लिये जो ओरण तत्कालीन जागीरदार द्वारा छोडी गयी है वो ओरण भूमि पवित्र भूमि है और आज भी हम सेवा पूजा करते आ रहे है। ओरण भूमि को किसी भी प्रकार से दूसरे कार्यों में लेने बाबत पूर्णतया प्रतिबन्ध भी है तथा खसरा नम्बर 11 में श्री चालकनेची माताजी का मन्दिर निर्मित होने के बावजूद ओर मुमकिन मन्दिर लिखा गया था माताजी का नाम नहीं लिखा गया था लेकिन उस रिकॉर्ड को श्रीमानजी द्वारा दुरुस्त किया जाकर माताजी का नाम लिख दिया गया है लेकिन ओरण के साथ नाम नहीं लिखा गया है इस कारण वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड गलत चला आ रहा है जिसको राजस्व नियमों के तहत दुरुस्त किया जा सकता है। प्रथम सेटलमेन्ट के समय से ही भूमि ओरण व मन्दिर के रुप में दर्ज है लेकिन सहवन से ओरण श्री चालकनेची माताजी व मन्दिर श्री चालकनेची माताजी शब्द अंकित होने से रह गया इसलिये गैर मुमकिन ओरण श्री चालकनेची माताजी दर्ज कर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2007 पेज 628–629, राजस्थान के पवित्र उपवन, राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3(8)राज/ग्रुप–3/90 दिनांक 04.05.1999 पेश किये।

पेरोकार राज ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि स्वीकृत रुप से गैर मुमकिन ओरण है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में चालकनेची माताजी का नाम नहीं है। खसरा नम्बर 11 में चालकनेची माताजी का मन्दिर बना हुआ है और न्यायालय आदेश से गैर मुमकिन मन्दिर श्री चालकनेची माताजी दर्ज किया गया है यदि भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं की जाती है और श्री चालकनेची नाम जोडा जाता है तो राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का राजस्व नुकसान नहीं होगा।

..... पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार राज की बहस पर मनन किया।

प्रार्थना पत्र में मुख्य रुप से कथन किये गये है कि खसरा नम्बर 12, 83 व 244/12 गैर मुमकिन ओरण श्री चालकनेची माताजी का है तथा खसरा नम्बर 11 गैर मुमकिन मन्दिर श्री चालकनेची माताजी का है, खसरा नम्बर 11 में पहले सिर्फ गैर मुमकिन मन्दिर लिखा हुआ था जिसको दुरुस्त करके सिर्फ चालकनेची माताजी का नाम दर्ज करने का आदेश पारित हो चुका है उक्त आदेश के आधार पर गैर मुमकिन मन्दिर श्री चालकनेची माताजी दर्ज हो चुका है लेकिन मन्दिर के आसपास की जो ओरण भूमि है उसकी किस्म गैर मुमकिन ओरण है लेकिन ओरण श्री चालकनेची माताजी दर्ज होने से रह गया है जो लिपिकीय भूल है। खसरा बन्दोबस्त सम्वत् 2008–2009 में खसरा नम्बर 83 के साथ ओरण जोगमाया वाला दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में श्री उमेद सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। शपथ प्रस्तुतकर्ता के पूर्वज ग्राम चालकना के जागीरदार थे और शपथ पत्र प्रस्तुत करके कथन किया है कि चालकनेची माताजी का मन्दिर काफी पुराना है और हमारे पूर्वजों ने चालकनेची माताजी के

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

लिये ओरण छोड़ा था। इसके अलावा परिपत्र क्रमांक प.3(8)राज/ग्रुप–3/90 दिनांक 04.05.1999, खसरा बन्दोबस्त, जमाबन्दी, राजस्व मण्डल द्वारा सरकार बनाम भादरियाराय माताजी में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2007, राजस्थान के पवित्र उपवन पुस्तक आदि का अवलोकन किया तथा पूर्व में खसरा नम्बर 11 से सम्बन्धित पारित आदेश व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया।

खसरा नम्बर 11 के सम्बन्ध में मन्दिर मूर्ति की तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर जांच रिपोर्ट प्राप्त करके श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत होने पर श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय बाड़मेर द्वारा गैर मुमकिन मन्दिर के स्थान पर गैर मुमकिन मन्दिर श्री चालकनेची दर्ज करने हेतु धारा 136 के तहत संशोधन बाबत पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या 113/2021 चालकनेची माताजी बनाम राजस्थान सरकार दर्ज होकर निर्णित हो चुका है और खसरा नम्बर 11 के सम्बन्ध में दुरुस्ती हो चुकी है। उस प्रकरण में की गयी जांच रिपोर्ट व वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व जवाब पैरोकार राज से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 12, 244/12 व 83 रोही चालकना की भूमि खसरा नम्बर 11 के पास स्थित है और खसरा नम्बर 11 में बहुत पुराना चालकनेची माताजी का मन्दिर निर्मित होना स्वीकृत है तथा मन्दिर के पास स्थित भूमि ओरण भूमि है इस तथ्य पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है क्योंकि स्वीकृत रुप से वादगत भूमि ओरण भूमि है। अब न्यायालय को यह देखना है कि ओरण भूमि की परिभाषा क्या है और ओरण भूमि किसकी है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.05.1999 में ओरण भूमि को परिभाषित किया गया है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्रामवासियों के हित में एवं पशुधन के हित में देवी देवताओं के नाम पर ऐसी भूमियों को ग्रामीण परम्परा द्वारा भूतपूर्व राजाओं/जनता द्वारा छोड़ा गया है। इस परिपत्र की परिभाषा से स्पष्ट है कि ओरण भूमि देवी देवताओं के लिये छोड़ी जाती है। इसी प्रकार आरआरडी 2007 में रिपोर्टेट निर्णय दिनांक 26.05.2007 सरकार बनाम भादरीया माताजी में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भादरीया राय माताजी के ओरण से सम्बन्धित पारित निर्णय में ओरण को देव भूमि माना है। भादरीया राय प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने स्पष्ट किया है कि जो भूमि मन्दिर के आस पास तत्कालीन राजा द्वारा ओरण के लिये छोड़ी गयी थी वो रिकॉर्ड में गलती से ओरण दर्ज नहीं हुई जबकि भूमि धार्मिक भावनावश माताजी के लिये छोड़ी गयी थी जिसमें मन्दिर धर्मशाला आदि बने हुए है। इसलिये भूमि राजस्व रिकॉर्ड में ओरण श्री भादरीयाराय माताजी के नाम दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकरण में भी श्री चालकनेची माताजी मन्दिर के पास धर्मशाला, विश्रामालय आदि यात्रियों के लिये बने हुए है और मन्दिर बहुत पुराना है। राजस्थान सरकार ने भी श्री चालकनेची माताजी (आवड़ माताजी/तनोट माताजी) के नाम से करोड़ो रुपये पेनोरमा के नामपर स्वीकृत हुए है और तनोट माता का मन्दिर भी विश्व विख्यात है। इस तथ्य को इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पर जो विजय स्तम्भ लगा हुआ है और भारत सरकार द्वारा भी पूजा व्यवस्था के लिये बजट जारी किया जाता है इसलिये यह बात स्वीकृत है कि चालकना गांव में तनोट माता/आवड़ माता का जन्म स्थान राज्य सरकार द्वारा निर्मित पेनोरमा के वक्त बजट घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया है और जन्म स्थान होने के कारण चालकना गांव का विशेष महत्व है और विशेष महत्व होने के कारण तत्कालीन जागीरदारों ने माताजी के लिये जो ओरण भूमि छोड़ी गयी थी उसके साथ सहवन से माताजी का नाम दर्ज होने से रह गया जबकि खसरा बन्दोबस्त ने ओरण जोगमाया वाला लिखा हुआ है। जोगमाया माताजी को ही कहते है। राजस्थान के पवित्र उपवन पुस्तक में अनेक ओरण भूमियों का उल्लेख है उन सब में किसी ना किसी देवी देवता का नाम जुड़ा हुआ है इसी प्रकार देशनोक, भादरीया, रासला आदि गांवो से सम्बन्धित प्रस्तुत जमाबन्दी में ओरण भूमि को माताजी की ओरण भूमि के रुप में दर्ज किया हुआ है। राजस्थान के पवित्र उपवन पुस्तक के पृष्ठ संख्या 73 में एक ओरण का सीमांकन एक विशिष्ट समारोह जिसे 'दूध जल' या 'केसर छांटा' कहा जाता है, के आयोजन में निर्धारित किया जाता है। इसमें ओरण या पवित्र उपवन की सीमा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

के चारों ओर पवित्र गंगा नदी का जल या केसर मिला हुआ दूध का पानी डालने का कार्य कर चिन्हित किया जाता है एवं जंगल के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र भी हो सकता है। इसके बाद ही इसे एक ओरण या देव वनी (ईश्वर के वन) के रुप में पहचान मिलती है। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि ओरण भूमि किसी न किसी देवी देवता के मन्दिर से जुड़ी हुई भूमि होती है और ओरण भूमि का सम्बन्ध देवी देवता से होता है जिसको राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र में परिभाषित किया हुआ है और माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी निर्णित किया हुआ है। पेरोकार राज ने ऐसा कोई सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को सत्य नहीं माना जा सकता और पैरोकार राज ने यह भी खण्डन नहीं किया कि चालकनेची माताजी का मन्दिर पुराना नहीं है और वहां पैनोरमा नहीं बना हुआ है तथा इस प्रकार का भी कोई सबूत पेरोकार राज ने पेश नहीं किया कि ओरण भूमि किसी दूसरे देवता की है पेरोकार राज ने सिर्फ किस्म परिवर्तन नहीं करने का निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि भूमि वर्तमान में गैर मुमकिन ओरण है अर्थात उसकी किस्म ओरण है और ओरण श्री चालकनेची माताजी दर्ज होने पर भी इस भूमि की किस्म ओरण ही रहेगी। प्रार्थी ने भी किस्म परिवर्तन का निवेदन नहीं किया है। सिर्फ ओरण के साथ माताजी श्री चालकनेची का नाम दर्ज नहीं होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का निवेदन किया है। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में दस्तावेज व न्यायिक निर्णय परिपत्र आदि प्रस्तुत करके प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को पूर्णतया साबित किया है इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः गांव चालकना की रोही में खसरा नम्बर 12 तादादी 1.7725 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 83 तादादी 2.1610 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 244/12 तादादी 1.4569 हैक्टयर गैर मुमकिन ओरण से सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से श्री चालकनेची माताजी का नाम दर्ज होने से रह गया इस कारण वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अशुद्ध होने के कारण तहसीलदार सेडवा को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर से सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन ओरण श्री चालकनेची माताजी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करे।

निर्णय आज दिनांक 05/09/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/9/24

(विरेन्द्र सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेडवा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेडवा